



पूर्वात्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

डिप्टी-03-39

क्रमांक-853/2017

सं० ई/9/16/ भाग - 11/17

दिनांक 11-12-2017

26/12

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

पूर्वात्तर रेलवे।

प्रति
(326/21/10)

विषय—सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद रनिंग स्टाफ/लोको इंस्पेक्टरों से सम्बन्धित पे-एलिमेन्ट।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं० ई(पी एण्ड ए)।-2015/आरएस-25 दिनांक 13.11.2017 को अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि संलग्नकों सहित सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू पी० सिंह)

उपमुकाधि/अराज

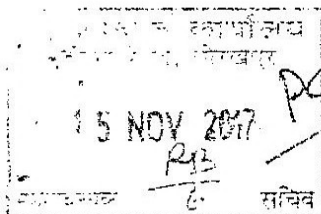
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

- 1— महानिरी/एनई रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर — 40 प्रतियों में।
- 2— महानिरी/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर — 02 प्रतियों में।
- 3— महानिरी/रेसुब एशोसिएशन/पूउरे/गोरखपुर — 02 प्रतियों में।
- 4— पूर्वात्तर रेलवे प्रधान श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर — 01 प्रति में।
- 5— महानिरी/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसिएशन/गोरखपुर—02 प्रतियों में।
- 6— मुकायाधी/एसपीपी को बैबसाइट पर अपलोड हेतु — 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

80/C



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No. E(P&A)II-2015/RS-25

New Delhi, dated: 13.11.2017

The General Manager,
Metro Railway,
Kolkata.

Sub.: Pay element relating to Running Staff/Loco Inspectors after the recommendations of Seventh CPC.

Please refer to your letter no. MRTS/E.345/0/12/Pt.IV/Misc dt. 05.05.2017 requesting a clarification about the percentage of pay element to be reckoned for the purpose of computation of pensionary benefits in respect of Loco Inspectors. This issue has also been raised by GS/NFIR in his letter no. IV/RSAG/Conf/Pt. VIII dt. 15.09.2017.

2. Loco Inspectors are entitled to 30% add-on pay element for retirement benefits as per paragraph no. 5.5 of Board's letter no. E(P&A)II/83/RS-10(iv) dt. 25.11.1992 which has not been amended as yet. It is clarified that the pay element (*presently 30% until further orders*) has to be reckoned in the revised pay structure of Seventh CPC for calculation of pensionary benefits of Loco Inspectors.

3. In this connection it is noted that many retired Loco Inspectors, even after getting the benefit of 30% add-on pay element at the time of pay fixation as Loco Inspectors, have gone to Courts of Law claiming 55% pay element for pensionary benefits equating themselves to the running staff. It is reiterated that Loco Inspectors are not classified as running staff and therefore are not entitled to 55% pay element for pensionary benefits. This fact may be conveyed to such Loco Inspectors while calculating their pensionary benefits.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Salim Md. Ahmed

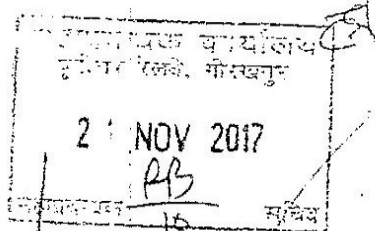
(Salim Md. Ahmed)
Deputy Director/E(P&A)II,
Railway Board.

Copy to:

N.E. Rly, GKP

1. GMs all Indian Railways and Production Units for information and necessary action.
2. PFA all Indian Railways and Production Units for information and necessary action.

966
Recd
20.11.2017



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(पी एण्ड ए)II-2015/आरएस-25

नई दिल्ली, दिनांक 13.11.2017

महाप्रबंधक,
मेट्रो रेलवे,
कोलकाता.

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद रनिंग स्टाफ/लोको निरीक्षकों से संबंधित पे एलीमेंट।

कृपया दिनांक 05.05.2017 के अपने पत्र सं. एनआरटीएस/ई.345/0/12/पार्ट. IV/प्रि. का अवलोकन करें। जिसमें लोको निरीक्षकों से संबंधित पेंशन लाभ की गणना करने के प्रयोजनार्थ शामिल किए जाने वाले पे एलीमेंट की प्रतिशतता के बारे में स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया गया है। इस मामले को जीएस/एनएफआरआर द्वारा उनके दिनांक 15.09.2017 के पत्र सं. IV/आरएसएसी/कॉन्फ/पार्ट. VIII द्वारा भी उठाया गया है।

2. बोर्ड के दिनांक 25.11.1992 के पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)II/83/आरएस-10(iv) के पैरा सं. 5.5 के अनुसार, लोको निरीक्षक सेवानिवृत्ति लाभ के लिए 30% पूरक पे एलीमेंट प्राप्त करने के पात्र हैं, इसमें अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि लोको निरीक्षकों के पेंशन संबंधी लाभ की गणना करने के लिए सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संशोधित वेतन संरचना में पे एलीमेंट (वर्तमान में अगले आदेशों तक 30%) को शामिल किया जाना है।

3. इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश सेवानिवृत्त लोको निरीक्षक, लोको निरीक्षक के रूप में वेतन निर्धारण के समय 30% पूरक पे एलीमेंट का लाभ प्राप्त होने के बाद भी न्यायालय गए हैं, जिसमें उन्होंने स्वयं को रनिंग स्टाफ के समान मानते हुए पेंशन संबंधी लाभ के लिए 55% पे एलीमेंट का दावा किया है। यह दोहराया जाता है कि लोको निरीक्षकों को रनिंग स्टाफ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है और इसलिए वे पेंशन संबंधी लाभ के लिए 55% पे एलीमेंट के पात्र नहीं हैं। इस तथ्य से लोको निरीक्षकों को उनके पेंशन संबंधी लाभों की गणना करते समय सूचित किया जाए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

प्रो. सलीम अहमद
(सलीम. मो. अहमद)

उप निदेशक (पी एण्ड ए)II,
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

उत्तर पूर्व रेलवे, गोरखपुर

1. महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेल एवं उत्पादन इकाइयां, सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए
2. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेल एवं उत्पादन इकाइयां, सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए